बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड,

चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर,

न्याय नगर, मीठापुर, पटना–800001.

अध्ययन केन्द्र की मान्यता देने हेतु सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विद्यालयी एवं व्यावसायिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं एवं अन्य वयस्कों को ''मुक्त विद्यालयी शिक्षा'' के माध्यम से, शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा ''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना'' की स्थापना 18.2.2011 को की गयी है ।

''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना'' के द्वारा वर्ष 2011–12 का शैक्षणिक सत्र से आरंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत –

(I) 14+ आयु के निरक्षर एवं नवसाक्षरों के लिए औपचारिक विद्यालयों की कक्षा 3, 5 एवं कक्षा–8 के समतुल्य शैक्षणिक कार्यक्रम में नामांकन कर, सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से, प्रमाणीकरण कर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा ।

(II) कक्षा 9/10 के लिए माध्यमिक स्तर के शैक्षणिक सत्र में नामांकन कर, सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से प्रमाणीकरण किया जाएगा । (ग्यारह विषय)

(III) कक्षा XI एवं XII के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर के शैक्षणिक सत्र में नामांकन कर, सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से, प्रमाणीकरण किया जाएगा । (अठारह विषय)

इस बोर्ड के द्वारा निर्गत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के परीक्षा प्रमाण पत्र, अन्य औपचारिक शिक्षण बोर्डों के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्रों के समतुल्य होंगे (जैसे – सी0बी0एस0सी0/आई0सी0एस0सी0/ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं अन्य राज्यों के परीक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र)। इस बोर्ड के प्रमाणपत्रों के आधार पर उन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में, जैसे विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों (इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इत्यादि) में प्रवेश लिया जा सकता है, जिनमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान, भारत सरकार के प्रमाण पत्र मान्य हैं।

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

(IV) व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशलवर्द्धन के विषयों (स्नातक स्तर के पूर्व) में भी इस बोर्ड के द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा और सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से प्रमाणीकरण कर प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जो सभी प्रकार की नौकरियों को प्राप्त करने में, सरकार द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के रूप में वैध होगा और इसका समुचित लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा ।

(V) डिग्री/स्नातक से पूर्व तक के स्तर, यानि (B.Ed.)से नीचे जैसे (D.El.Ed.) इत्यादि के लिए अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 'शिक्षक–प्रशिक्षण' का पाठ्य कार्यक्रम भी इस बोर्ड के द्वारा चलाएगा जाएगा, जिसे Indira Gandhi National Open Univercity के द्वारा National Council of Teacher's Education के मानकों के आधार पर विकसित किया जा रहा है।

(VI) 'विशेष आवश्यकता' वाले शिक्षार्थियों के लिए भी यह बोर्ड विशेष सुविधाओं सहित 'शिक्षण–प्रशिक्षण' का कार्य करेगा।

उपरोक्त सभी 'शिक्षण–प्रशिक्षण' कार्यों के लिए (क्रम सं0 – (I) से (VI) तक) यह बोर्ड निम्न प्रकार के संस्थानों/संगठनों/विद्यालयों से अपने 'शिक्षण केन्द्र' के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है :–

(I) 14+ आयुवर्ग के निरक्षरों/नवसाक्षरों को 'मुक्त–बेसिक शिक्षा' प्रदान करने हेतु – गैर सरकारी संस्थाओं/अन्य निजी संस्थान जो साक्षरता एवं बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हों और जिनके पास शिक्षा देने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और योग्य शिक्षक उपलब्ध हों।

(II) कक्षा 9/10 वीं (माध्यमिक स्तर) के लिए सभी औपचारिक विद्यालय (निजी,सरकारी,सरकारी अनुदान प्राप्त) जिसे सरकार से अथवा सक्षम स्थानीय प्राधिकार/ परीक्षा बोर्डों से मान्यता प्राप्त हो और जिनके पास शिक्षण देने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और योग्य शिक्षक उपलब्ध हों।

(III) कक्षा 11/12 वीं (उच्चतर माध्यमिक स्तर) के लिए सभी औपचारिक विद्यालय(निजी,सरकारी,सरकारी अनुदान प्राप्त) जिसे सरकार से अथवा सक्षम स्थानीय प्राधिकार/ परीक्षा बोर्डों से मान्यता प्राप्त हो और जिनके पास इस कार्य के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और योग्य शिक्षक उपलब्ध हों।

(IV) व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशलवर्द्धन के लिए ऐसी गैर सरकारी संस्थाऐं (एन0जी0ओ0) / प्रशिक्षण संस्थानों/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(आई0टी0आई0)/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, (आई0टी0सी0)/ वी0टी0पी0 (Vocational Training Providers)एवं निजी संस्थान, जिसमें व्यावसायिक विषयों मेंप्रशिक्षण/शिक्षण देने के लिए आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त शिक्षक–प्रशिक्षक उपलब्ध हों, उन्हें मान्यता दी जाएगी । ऐसे संस्थानों में वर्ग V से VIII तक कौशलवर्द्धन एवं कक्षा IX से स्नातक पूर्व स्तर तक की व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी ।

(V) 'शिक्षक–प्रशिक्षण' के लिए – गैर सरकारी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) / निजी संस्थान/सभी प्रकार के विद्यालयों/ प्रखण्ड स्तर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (P.T.C.)/जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान राजकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/अराजकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जिसमें प्रशिक्षण/शिक्षण देने के लिए आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त शिक्षक उपलब्ध हो को मान्यता दी जाएगी । उपरोक्त सभी प्रकार के 'शिक्षण केन्द्र', औपचारिक विद्यालयों के आरम्भ होने के समय से पहले अथवा बाद में एवं अवकाश के दिनों में कार्यरत रहेंगे। शिक्षण–केन्द्रों के रूप में चयनित ऐसे संस्थानों को बोर्ड के द्वारा उनके संस्थानों की सुविधाओं और संसाधनों के उपयोग के लिए प्रति शिक्षार्थी भुगतान किया जाएगा जिसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राज्य सरकार की संस्थाओं को छोड़कर अन्य विद्यालयों/संस्थानों को मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ 1000/– (एक हजार) एवं 4000/– (चार हजार)रूपये मात्र का दो अलग–अलग बैंकड्राफ्ट

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

जो मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड,पटना (BBOSE) के नाम से देय होगा, के साथ आवेदन कर सकते हैं । आवेदन पत्रों का प्रारूप, अन्य आवश्यक सूचनाऐं प्राप्त करने हेतु बोर्ड के वेबसाईट www.bbose.org अथवा 0612–2355668 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जा रहे है.।

(दिनेश सिंह विष्ट),
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com